प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ दिनांक 30 मार्च, 2020***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अंजनी कुमार शुक्ला पुत्र मुनीन्द्र कुमार शुक्ला, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-35064/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-19.09.2019) दिनांक-03.12.2019 कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अंजनी कुमार शुक्ला पुत्र मुनीन्द्र कुमार शुक्ला जो बवना, थाना-नवाबगंज, जिला-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। बंदी ने कुत्ता व बकरी द्वारा दरवाजे पर गंदगी फैलाने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 16.10.2003 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर 03 लोगों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-09/04, 11/04 भा0द0सं0 की धारा-147, 148, 149, 302/34, 504/34 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-06, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 16.12.2005 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.08.2018 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 08.02.2019 द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बंदी के शारीरिक मानसिक रूप से सशक्त होने के दृष्टिगत विचारणोंपरान्त बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में पुलिस अधीक्षक ने बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने कुत्ता व बकरी द्वारा दरवाजे पर गंदगी फैलाने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 16.10.2003 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर 03 लोगों की हत्या का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

गया है। इस बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अंजनी कुमार शुक्ला पुत्र मुनीन्द्र कुमार शुक्ला को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है।

3- उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी अंजनी कुमार शुक्ला (बन्दी संख्या-19572) पुत्र मुनीन्द्र कुमार शुक्ला, निवासी जनपद-फर्रूखाबाद के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट,1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

संख्या-128/2020/3013(1)/22-2-2019 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।
3- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री को सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-128/2020/3013/22-2-2019-17(1166)/2019

दिनांक 30 मार्च, 2020 का संलग्नक

सरकार के आदेश

केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अंजनी कुमार शुक्ला पुत्र मुनीन्द्र कुमार शुक्ला जो बवना, थाना-नवाबगंज, जिला-फर्रूखाबाद का रहने वाला है। बंदी ने कुत्ता व बकरी द्वारा दरवाजे पर गंदगी फैलाने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 16.10.2003 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर 03 लोगों की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-09/04, 11/04 भा0द0सं0 की धारा-147, 148, 149, 302/34, 504/34 व 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं0-06, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 16.12.2005 द्वारा आजीवन कारावास की सजा से दण्डित किया गया, जिसे मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 29.08.2018 द्वारा आजीवन कारावास की सजा को यथावत रखा गया है। जिला मजिस्ट्रेट, फर्रूखाबाद की अध्यक्षता में सम्पन्न समिति की बैठक दिनांक 08.02.2019 द्वारा जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट ने बंदी के शारीरिक मानसिक रूप से सशक्त होने के दृष्टिगत विचारणोंपरान्त बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है एवं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में पुलिस अधीक्षक ने बंदी का अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में न होने, बंदी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की है। प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि बंदी ने कुत्ता व बकरी द्वारा दरवाजे पर गंदगी फैलाने को लेकर हुए विवाद में दिनांक 16.10.2003 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमंचे से गोली मारकर 03 लोगों की हत्या का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने का अंकन जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस बंदी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता, जघन्यता जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोवेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अंजनी कुमार शुक्ला पुत्र मुनीन्द्र कुमार शुक्ला को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की **संस्तुति नहीं की** गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा बंदी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in